


18.08.2023:-पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
मूल वादी-पत्र खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र
खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई
कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज
होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़